मु0न0:– 31/2022 उनवान:– हुकमबाई बनाम कमलेश

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0. 31/2022 दिनांक: 21.03.2022

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हुकमबाई पुत्री बद्री पत्नि तेजराम मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम।
2. लोहडी पुत्री बद्री पत्नि सियाराम हाल निवासी बडापुरा तहसील टोडाभीम।
3. हरभेजी पुत्री बद्री पत्नि गोविन्द हाल निवासी बडापुरा तहसील टोडाभीम।

सायलान

बनाम

1. कमलेश पुत्री काडया पत्नि छोटेलाल जाति मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी नाहरखोहरा तहसील टोडाभीम।
2. गल्लीबाई पुत्री काडया पत्नि रामकेश जाति मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।
3. गिल्ली देवी पुत्री काडया पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।
4. खेला देवी पुत्री काडया पत्नि विक्रम जाति मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी बडापुरा तहसील टोडाभीम।
5. रोशनदेवी पुत्री काडया पत्नि विजय सिंह जाति मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी नाहरखोहरा तहसील टोडाभीम।
6. सुमन देवी पुत्री काडया पत्नि बलराम मीना निवासी पाडला खालसा हाल निवासी नाहरखोहरा तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम।
8. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट, सायलान
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक: 19.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है, कि ग्राम पाडला खालसा की आराजी ख0न0 आराजी खसरा नं 1255/0.13, 1256/0.14, 1267/0.26, 1268/0.44, 206/0.34, 207/0.12, 274/0.29, 275/0.21, 1257/0.31, 1258/ 0.30, 1259/0.88, 1262/0.12, 1263/0.33, 1264/0.56, 1003/0.09, 1125/0.04, 1126, 0.34, 1127/0.09, 1128/0.02, 1129/0.02, 1130/0.02, 1131/ 0.01, 1132/ 0.01, 1142/ 0.01, 1261/0.13, 190/0.16, 196/0.21, 674/0.23, 739/0.25, 740/0.10, 1068/0.02, 1291/0.05, 189/1469/0.05, 643/1474/0.04, 1030/0.23, 1048 /0.10, 1049/0.13, 1050/0.04, 1051/0.09, 1052/0.06, 1053 /0.05, 1056 0.10, 1106/0.08, 1107/ 0.36, 1113/0.15, 1114/0.13, 1117/ 0.06, 1118/0.06, 1123/0.13, 1140/0.08, 1373/0.18, 1375/ 0.20, 1376/0.20, 1390/0.30, 1391/0.07, 1392/0.09, 1397/0.11, 1398/0.12, 1399/0.01, 1400/ 0.19, 1406/0.13, 1407/0.25, 273/0.32, 276/0.25, 396/0[illegible]/0.27, 546/0.27, 547/0.31, 548/0.22, 63 0.07, 766/1457/0.08, 770/[illegible] 7[illegible] 0.16, 795/0.18, 796/ 0.22, 804/0.22, 805/0.21, 809 /0.02, 1006/ 0.01 [illegible] 0.05 [illegible] 1260/0.11, 156/0.11, 1172/0.22, 1173 /0.10, 1174/0.09, 1175/0.1[illegible] [illegible]76/0.13, 1199/0.05, [illegible]/ 0.11, 1205/0.09, 1207/0.07, 1022/0.06, 1[illegible]/0.05, 1028/0.10, [illegible]/0.11, 1036/0.05, 1037/0.05, 1104/0.09, 1147/0.15, 1166 /0.12, 136/ 0.07 137/0.07, 138/ 0.12, 139/0.06, 140/0.19, 1168/0.04, 1169/0.13, 1201/0.05, 1206/0.08, 1208/0.05, 1209 /0.09, 1210/0.11, 1211/0.09, 1165/0.10, 1167/0.07, 1047/ 0.

(पूजा मीना)
उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

12, 1002/0.23, 1004/ 0.09, 1005/0.44, 1007/ 0.22, 1008/0.25, 1289/0.05, 1290/0.04, 1228/0.36, 1273/0.28, 1274/0.31, 1275 / 0.31, 1364/0.22, 1365/0. 31 है0 मे सायलान व गैरसायलान न0 1 ता 6 की पैतृक भूमि है, जो उनके बुजुर्ग बद्री पुत्र मंगला से विरासत मे मिली है, बद्री पुत्र मंगला के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 तक मे खातेदारी दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर उसके पुत्र काडया के नाम दर्ज हो गई है तथा काडया की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रिया गैरसायला न0 1 ता 6 के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी हो गई है। जबकि सायलान ने नाम अपने पिता बद्री पुत्र मंगला की भूमि मे हिस्सा 3/4 की खातेदारी होनी चाहिये थी तथा सायलान हिस्सा 3/4 की मालिक है। पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारीयो ने बद्री की मृत्यु के बाद सिर्फ उसके पुत्र काडया के नाम उसके सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी गलत की है तथा काडया की मृत्यु के बाद काडया पुत्र बद्री की विरासत का नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम गलत व अवैध हुआ है, इस प्रकार भूमि वर्णित मद न0 3 के खाता न0 213 मे वर्णित भूमि मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 180 मे सायलान हिस्सा 3/32, खाता न0 150 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 149 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 148 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 145 मे सायलान हिस्सा 3/32, खाता न0 141 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 140 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 139 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 138 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 137 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 142 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 249 मे सायलान हिस्सा 3/64, खाता न0 252 मे सायलान हिस्सा 3/32 के खातेदार काश्तकार है, तथा अपने हक की खातेदारी कराने के हकदार है, सायलान अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत मालिक खातेदार काबिज है।

यह है कि वर्णित भूमि का भू–प्रबन्ध से पूर्व यानि गत ख0न0 236, 84, 507, 186, 206, 207, 56, 139, 144, 132, 169, 188, 371, 373, 445, 536, 540, 555, 548, 150, 116, 125, 122, 171, 172, 165, 162, 160, 177, 213, 235, 563, 564, 565, 567, 562, 100, 101, 489, 176, 236, 507/1, 507/2, 159, 175, 70/1, 69/1, 70/2, 68/2, 69, 233 है।

यह है कि सायलान ग्रामीण एवं अशिक्षित महिला है, सायलान को ब्रदी की विरासत से काडया के नाम तथा काडया की मृत्यु के बाद विरासत के खोले गये नामांतकरण व खातेदारी की जानकारी नही थी, सायलान अपने हिस्से की भूमि को मौके पर काश्त कर रही है। सायलान दिनांक 25.02.2022 को विवादित आराजी मे सरसो की फसल काश्त की देखभाल कर रही थी कि गैरसायल न0 1 ता 6 सायलान के पास आये और धमकी दी कि अब तुम इस भूमि पर से अपना कब्जा हटा लो और भूमि पर आना जाना छोड दो, तुम्हारा इस भूमि पर कोई हिस्सा नही है, हमारे नाम खातेदारी हो गई है, इस भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करेगे। सायलान ने इनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्रथम दृष्टया प्रकरण बखूबी साबित है, सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति होना संभव नही है, जबकि गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश कर निवेदन है कि गैरसायल न0 1 ता 6 को पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम पाडला खालसा की आराजी ख0न0 1255/0.13, 1256/0.14, 1267/0.26, 1268/0.44, 206/0.34, 207/0.12, 274/0.29, 275/0.21, 1257/0.31, 1258/ 0.30, 1259/0.88, 1262/0.12, 1263/0.33, 1264/0.56, 1003/0.09, 1125/0.04, 1126, 0.34, 1127/0.09, 1128/0.02, 1129/0.02, 1130/0.02, 1131/ 0.01, 1132/ 0.01, 1142/ 0.01, 1261/0.13, 190/0.16, 196/0.21, 674/0.23, 739/0.25, 740/0.10, 1068/0.02, [illegible]91/0.05, 189/1469/0.05, 643/1474/0.04, 1030/0.23, 1048 /0[illegible]/0.13, 1050/0.04, 1051/0.09, 1052/0.06, 1053 /0.05, 1056 0.10, 1106[illegible] [illegible]13/0.15, 1114/0.13, 1117/ 0.06, 1118/0.06, 1123/0.13, [illegible]0.08, 1373/0.18, 1375/ 0.20, 1376/0.20, 1390/0.30, 1391/0.07, 1392[illegible]397/0.11, 1398/0.12, 1399/0.01, 1400/0.19, 1406/0.13, 1407/0.25, 273/[illegible]2, 276/0.25, 396/0.01, 545/0.27, 546/0.27, 547/0.31, 548/0.22, 63 0.07, 766/1457/0.08, 770/0.20, 772/ 0.16, 795/0.18, 796/ 0.22, 804/0.22, 805/0.21, 809 /0.02, 1006/ 0.01, 1009/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:50 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

मु0न0:– 31/2022 उनवान:– हुकम बाई बनाम कमलेश

25, 1260/0.11, 156/0.11, 1172/0.22, 1173 /0.10, 1174/0.09, 1175/0.13, 1176/0.13, 1199/0.05, 1200/ 0.11, 1205/0.09, 1207/0.07, 1022/0.06, 1027/0.05, 1028/0.10, 1035/0.11, 1036/0.05, 1037/0.05, 1104/0.09, 1147/0.15, 1166/0.12, 136/ 0.07 137/0.07, 138/ 0.12, 139/0.06, 140/0.19, 1168/0.04, 1169/0.13, 1201/0.05, 1206/0.08, 1208/0.05, 1209 /0.09, 1210/0.11, 1211/0.09, 1165/0.10, 1167/0.07, 1047/ 0.12, 1002/0.23, 1004/ 0.09, 1005/0.44, 1007/ 0.22, 1008/0.25, 1289/0.05, 1290/0.04, 1228/0.36, 1273/0.28, 1274/0.31, 1275 / 0.31, 1364/0.22, 1365/0.31 हे0 मे गैरसायला न0 1 ता 6 के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से ट्रान्सफर नही करे तथा सायलान के कब्जेकाश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 7 व 8 उपस्थित, प्रतिवादीगण 1, 3, 5, बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण 2, 4, 6 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज करवाकर जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खाता न0 213, 180, 150, 149, 148, 145, 141, 140, 139, 138, 137, 142, 249, 252 मे गैरसायलान 2,4,6 तथा खाता न0 180, 148, 252 मे 1/16 हिस्से के तथा खाता न0 213, 150, 149, 145, 141, 140, 139, 138, 137, 142, 249 मे 1/32 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जो अपने पिता से विरासत मे मिली है जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 मे वर्णित आराजीयात काडया पुत्र बद्री के नाम सही खुली है जिसकी जानकारी हमेशा सायलान को रही है काडया पुत्र बद्री के फौत होने के बाद काडया पुत्र बद्री की विरासत नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 को गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम सही व विधि अनुसार खुला है जो किसी भी प्रकार गैरकानूनी नही है तथा खाता न0 213, 180, 150, 149, 148, 145, 141, 140, 139, 138, 137, 142, 249, 252 मे सायलान का कोई हिस्सा नही है और नाही कोई हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है। जबाब के विशेष विवरण/काउन्टर क्लेम पेश किया है कि वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 ता 6 को काडया पुत्र बद्री से मिली है आराजी बद्री पुत्र मंगला के नाम रही है तथा ब्रदी पुत्र मंगला की विरासत काडया पुत्र बद्री के नाम सही खुली है काडया पुत्र बद्री के फौत होने के वाद काडया पुत्र बद्री की विरासत का नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 के नाम सही व विधि अनुसार स्वीकृत हुआ है जो किसी प्रकार गैरकानूनी नही है सायलान द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने की गरज से पेश किया है। आराजी गैरसायलान 1 ता 6 के पिता काडया के नाम रही है तथा अपने पिता से विरासत मे मिली है चुकि सायलान एवं गैरसायलान अनुसूचित जन जाति के सदस्य है अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर हिन्दू विधि लागू नही होती है चूकि ब्रदी के गैरसायलान के पिता काडया पुत्र था इसलिये बद्री की विरासत काडया के नाम खुली थी तथा काडया मेल इश्यू नही होने के कारण काडया की विरासत विधि के प्रावधानो के अनुसार गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम खुली है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायलान व गैरसायलान न0 1 ता 6 की पैतृक भूमि है, जो उनके बुजुर्ग बद्री पुत्र मंगला से विरासत मे मिली है, बद्री पुत्र मंगला के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 तक मे खातेदारी दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर उसके पुत्र काडया के नाम दर्ज हो गई है तथा काडया की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रिया गैरसायला न0 1 ता 6 के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी हो गई है। जबकि सायलान ने नाम अपने पिता बद्री पुत्र मंगला की भूमि मे हिस्सा 3/4 की खातेदारी होनी चाहिये थी तथा सायलान हिस्सा 3/4 की मालिक है। पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारियों ने बद्री की मृत्यु के बाद सिर्फ उसके पुत्र काडया के नाम उसके सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी दर्ज की है तथा काडया की मृत्यु के बाद काडया पुत्र बद्री की विरासत का नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम गलत व अवैध हुआ है। सायलान अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने हिस्से की भूमि पर बहेसियत मालिक खातेदार काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान न0 1 ता 6 के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से ट्रान्सफर नही करे तथा सायलान के कब्जेकाश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार काश्तकार है जो अपने पिता से विरासत मे मिली है जमाबन्दी सम्वत 2037—2040 मे वर्णित आराजीयात काडया पुत्र बद्री के नाम सही खुली है जिसकी जानकारी हमेशा सायलान को रही है काडया पुत्र बद्री के फौत होने के बाद काडया पुत्र बद्री की विरासत नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 को गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम सही व विधि अनुसार खुला है जो किसी भी प्रकार गैरकानूनी नही है तथा खाता न0 213, 180, 150, 149, 148, 145, 141, 140, 139, 138, 137, 142, 249, 252 मे सायलान का कोई हिस्सा नही है और नाही कोई हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है। वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 ता 6 को काडया पुत्र बद्री से मिली है आराजी बद्री पुत्र मंगला के नाम रही है तथा ब्रदी पुत्र मंगला की विरासत काडया पुत्र बद्री के नाम सही खुली है काडया पुत्र बद्री के फौत होने के वाद काडया पुत्र बद्री की विरासत का नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 के नाम सही व विधि अनुसार स्वीकृत हुआ है जो किसी प्रकार गैरकानूनी नही है सायलान द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने की गरज से पेश किया है। आराजी गैरसायलान 1 ता 6 के पिता काडया के नाम रही है तथा अपने पिता से विरासत मे मिली है चुकि सायलान एवं गैरसायलान अनुसूचित जन जाति के सदस्य है अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर हिन्दू विधि लागू नही होती है चूकि ब्रदी के गैरसायलान के पिता काडया पुत्र था इसलिये बद्री की विरासत काडया के नाम खुली थी तथा काडया मेल इश्यू नही होने के कारण काडया की विरासत विधि के प्रावधानो के अनुसार गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम खुली है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाकर सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता न0 213 मे कुल किता 4 कुल रकवा 0.97 है0 मे गैरसायलान 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 180 कुल किता 4 कुल रकवा 0.96 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/48 के, खाता न0 150 कुल किता 6 कुल रकवा 2.50 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 149 कुल किता 16 कुल रकवा 1.73 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 148 कुल किता 4 कुल रकवा 0.16 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 145 कुल किता 44 कुल रकवा 6.71 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/48 के, खाता न0 141 कुल किता 4 कुल रकवा 0.48 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 140 कुल किता 9 कुल रकवा 0.99 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 139 कुल किता 14 कुल रकवा 1.29 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 138 कुल किता 8 कुल रकवा 0.64 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 137 कुल किता 2 कुल रकवा 0.17 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 142 कुल किता 1 कुल रकवा 0.12 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 249 कुल किता 7 कुल रकवा 1.32 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/96 के, खाता न0 252 कुल किता 6 कुल रकवा 1.79 है0 मे गैरसायलान न0 1 ता 6 हिस्सा 6/48 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे उक्त समस्त खातो मे मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत वादपत्र घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहा है। पत्रावली मे शामिल नामांतकरण न0 533 दिनांक 20.09.2019 अनुसार खातेदार काडया के फौत होने के बजाय गैरसायलान न0 1 ता 6 के नाम विरासत के रूप मे दर्ज हुआ है। सायलान ने पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य, रेकार्ड प्रस्तुत नही किये जिससे वर्णित आराजीयात मे सायलान का प्रथम दृष्टया साबित हो। उक्त विवेचन से प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित नही है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने तथा ठोस साक्ष्य/आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:50 IST
Reason: Self Attested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

सायलान द्वारा पत्रावली मे पेश नही करने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित नही है।

3. **अपूर्तनीय क्षति:– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो वर्तमान मे खातेदारी अनुसार सायलान को अपूर्तनीय क्षति नही होकर गैरसायलान को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, तथा अपूर्तनीय क्षति सायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner